उत्तर प्रदेश शासन
वन अनुभाग–5
संख्या–457 / 14–5–2013–57 / 2006
लखनऊ दिनांक 23 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2003) की धारा–22 की उप धारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या–1498 / 14–5–2006–57 / 2006, दिनांक 20–9–2006 के द्वारा उ0प्र0 राज्य के लिए "उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड" नामक बोर्ड की स्थापना की गयी है। उक्त अधिसूचना के क्रम में उक्त अधिनियम की धारा 22 (4) (ग) के अन्तर्गत "उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड" में अधिसूचना संख्या–64 / 14–5–2007–57 / 2006, दिनांक 11–1–2007 के द्वारा पॉच विशेषज्ञ सदस्य नामित किये गये थे। अधिसूचना संख्या–64 / 14–5– 2007–57 / 2006, दिनांक 11–1–2007 के द्वारा उक्त नामित पॉच विशेषज्ञ सदस्यों के स्थान पर निम्नलिखित पॉच गैर सरकारी विशेषज्ञ सदस्य अपनी नियुक्ति के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित किये जाते हैं:–

(1) डा0 मेही लाल, पी0एच0डी0 (एग्रोनॉमी), 8 / 505, सेक्टर–8 इन्दिरा नगर, लखनऊ।
(2) डा0 श्रीमती रोमा मित्रा, पी0एच0डी0 (फार्मेकोग्नोसी) ए–2 / 288, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) डा0 एन0एन0 मेहरोत्रा, पी0एच0डी0 (बायोकेमेस्ट्री–इम्यूनॉलाजी) 474ए / 60, ब्रह्म नगर, लखनऊ।
(4) डा0 सी0 एस0 भट्ट, पी0एच0डी0, 2 / 90, विराम खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
(5) डा0 एम0 एच0 फारूखी, पी0एच0डी0 (प्लान्ट पॉलीसेकेराइड केमेस्ट्री) सी–3 / 2, शाहिद अपार्टमेन्ट्स, डा0 चक्रवर्ती रोड, गोलागंज, लखनऊ।

(वी0 एन0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या–457(1)/14–5–2013 तददिनांक

उपर्युक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– उप निदेशक (प्र0) राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसूचना साधारण गजट में प्रकाशित करके 100 प्रतियॉं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3– प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।

4– सचिव, उ0प्र0 राज्य जैव विविधता बोर्ड, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

आज्ञा से,

(प्रतिभा सिंह)
विशेष सचिव।